

Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

प्र0सं0 26 / 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03-11-2022	<p>पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन जाहिर आया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा उनके न्यायालय में जैरकार प्रकरण संख्या 82/2011 राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89,188,92(क) आर0टी0ए0 उनगान कल्याण पिता नारु जाट निवासी सांगानेर वगैरह बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा वगैरह की मूल पत्रावली न्यायालय हाजा को प्रेषित कर उक्त प्रकरण में अधिवक्ता द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा की कार्य प्रणाली पर मौखिक आरोप लगाये जाने संबंधी तथ्य अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।</p> <p>पत्रावली में उपलब्ध दरतावेजात का अवलोकन किया जिससे जाहिर आया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के तात्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावलिया इस तथ्य के साथ प्रेषित की गयी है कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान अधिवक्तागण की आपस में अनावश्यक बहस हो गई एवं अधिवक्ता द्वारा पीठासीन अधिकारी की कार्यप्रणाली पर मौखिक आरोप लगाये गये हैं। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा में पूर्व में पदस्थापित/तात्कालीन पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) का वर्तमान में अन्यत्र स्थानांतरण हो गया है एवं वर्तमान में नवीन पीठासीन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) के पूर्व/तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया है अतः उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा में विचाराधीन उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।</p> <p>अतएवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 82/2011 राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88,89,188,92(क) आर0टी0ए0 उनगान कल्याण पिता नारु जाट निवासी सांगानेर वगैरह बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा वगैरह की मूल पत्रावलियां पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को लौटायी जाकर वर्तमान पदस्थापित उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई सम्पादित कर विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति मय मूल पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रेषित की जावें। उभयपक्षकारान सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष दिनांक 30.11.2022 को पेश हो।</p>	

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा